FORM NO. 111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर

उनवान औमप्रकाश बनाम शिवप्रसाद वगै0

किस्म मुकदमा दावा बाबत घो षणा व स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नं. 80 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुये।
31.05.23	वकील वादी **श्री सुभाष चन्द्र शर्मा** ने हाजिर अदालत होकर वादपत्र पेश किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 30.06.2023 को पेश हो।	
	23/2/24 5/4/24	
12/3/24	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली पर दिनांक 30-6-2023 से दिनांक 23-02-2024 तक कोई आर्डरशीट नही है। पत्रावली के अवलोकन पर किसी प्रकार के नोटिस तामिली मौजूद नही है। अप्रार्थीगण को नोटिस तामिली का कोई सबूत मौजूद नही है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्राथनापत्र मिसल तलबी स्वीकार किया जाने पर पत्रावली नियत उफजाही तारीख पेशी से तलब की जाकर आज पेश हुई। वकील वादी ने जरिये प्रा.पत्र निवेदन किया कि प्रकरण मे पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है। वादी वाद को आगे नही चलाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र विड्रा स्वीकार कर हस्तगत वाद पत्र को विड्रा किये जाने की अनुमाते प्रदान की जावे।	

ड अधिकारी
खण्डेला

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की जारी हु
	वकील वादी का प्रार्थना पत्र विद्ड्रा न्याय-हित में स्वीकार किया जाकर हस्तगत वाद पत्र को विद्ड्रा किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः कार्यवाही प्रकरण इसी स्तर पर DROP की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो, निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। (हस्ताक्षर) (नेहा मिश्रा) उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)	

उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर) सत्यमेव जयते